न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मोहम्मद आसिफ अंसारी, RJS
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या – 73/2020
CIS No. – 73/2020
CNR. No. – RJSG110009682020

राजस्थान राज्य

विरुद्ध

01– सीताराम पुत्र कृष्णलाल, निवासी वार्ड नं. 09 सूरतगढ़, पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर, जिला श्रीगंगानगर(राज.)

02– सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया पुत्र बाबुलाल , निवासी हिन्दौर, पुलिस थाना राजियासर (राज.)।

03– श्योनारायण उर्फ शिवनारायण पुत्र प्यारेलाल, निवासी बिजरासर, पुलिस थाना भानीपुरा, जिला चूरू। **(मफरूर)**

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट

प्रतिनिधित्वः–

1– राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्याम चुघ।

2– अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा व श्री सुशील बिश्नोई।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 05.04.2025

01. आरक्षी केंद्र सूरतगढ़ शहर, जिला श्रीगंगानगर की ओर से अभियुक्त सीता राम के विरुद्ध धारा 8/22, 25 एनडीपीएस एक्ट, अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया के विरुद्ध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट व अभियुक्त श्योनारायण उर्फ शिवनारायण के विरुद्ध धारा 8/22 सपठित धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2020 को प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 26.06.2020 को थानाधिकारी रामकुमार पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर मय धर्मेन्द्रसिंह एएसआई, जयपालसिंह हैड कानि. 117, इन्द्राज कानि. 443, टिकमचंद कानि. 821,

आत्माराम कानि. 1073, हनुमान राम कानि. 461 प्राइवेट वाहन के वास्ते करने गश्त रवाना कस्बा सूरतगढ़ को हुआ। थाना से रवाना होकर कस्बा सूरतगढ़ में गश्त की गई।

दौराने गश्त वक्त 4.00 पीएम पर पुरानी धानमंडी पहुंचा तो बीकानेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक मोटरसाइकिल आता दिखाई दिया, जिस पर दो व्यक्ति सवार हैं, जिनके बीच में एक बड़ा कार्टून रखा होने के कारण शक होने पर रुकवाने का इशारा किया तो हड़बड़ाकर चालक ने मोटरसाइकिल वापिस मोड़ने की कोशिश की, जिस पर मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिर गई। उसी समय मन् थानाधिकारी ने साथी मुलाजमानों की ईमदाद से मोटरसाइकिल चालक व पीछे बैठे व्यक्ति को काबू किया जाकर कार्टून बाबत पूछा तो दोनों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस पर शक होने पर कार्टून को खोलकर चैक किया तो कार्टून के अंदर ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट नशीली मिली।

मौका पर स्वतंत्र मौतबिर तलब करने चाहे तो वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा अपने–अपने कार्य में व्यस्त होना बताकर रवाना हो गए। जिस पर साथी मुलाजमानों के समक्ष मोटरसाइकिल चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम सीताराम पुत्र कृष्णलाल निवासी वार्ड नं. 09 सूरतगढ़ का होना बताया। पीछे कार्टून पकड़े व्यक्ति से नाम पता पूछा तो इसने अपना नाम सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया पुत्र बाबुलाल निवासी हिन्दौर का होना बताया। सीताराम व सुरेन्द्र सैंधिया को मन् थानाधिकारी व साथी मुलाजमान की तलाशी दी गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली एवं साथी मुलाजमानों के रोबरू कार्टून को चैक किया तो कार्टून के अंदर 100 डिब्बे ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेटस के मिले। प्रत्येक डिब्बा में 25 स्ट्रीप है तथा प्रत्येक स्ट्रीप में 10 टेबलेट हैं। इस प्रकार कार्टून में कुल 25000 टेबलेट हैं। एक स्ट्रीप का वजन कंप्यूटर कांटा से किया गया तो एक स्ट्रीप टेबलेट का वजन 5.73 ग्राम है, 2500 स्ट्रीप टेबलेट का कुल वजन 14.325 किलोग्राम है।

सीताराम व सुरेन्द्र के कब्जा में मिले नशीले टेबलेट किससे खरीद किये हैं, बाबत पूछा तो उक्त दोनों ने बताया कि यह नशीली टेबलेट हमने शिवनारायण पूनिया निवासी सरदारशहर के मार्फत जयपुर मंगवाया था, जिसके मोबाइल नं. 6377570419 है। शिवनारायण पूनिया यह टेबलेट जयपुर से ट्रांसपोर्ट के मार्फत हमें भिजवाता था, जिसके रुपये हम शिवनारायण को मिलने पर नकद देते थे। आज हम यह कार्टून बीकानेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट से प्राप्त कर सीताराम के घर ले जाकर आगे किसी के साथ सौदा कर बेच देते वगैरा वगैरा बताया। सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया के कब्जा में मिले टेबलेट ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड घटक की औषधि है, जो एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों की श्रेणी में आती है, जो कि

एन.डी.पी.ए. एक्ट की औषधियों की सूची में मनःप्रभावी (Substance) है। उक्त सभी टेबलेट प्रतिबंधित एवं नशीली है तथ मादक पदार्थ युक्त है, जिन्हें बिना ड्रग लाइसेंस के भण्डारण, क्रय विक्रय एवं परिवहन एवं आधिपत्य नहीं कर सकता है तथा रजिस्टर मैडिकल प्रेक्टिसनर की पर्ची के बिना नहीं बेचा जा सकता है। सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया से उक्त टेबलेटों के लाइसेंस, परिवहन, अभिग्रहण पर क्रय एवं विक्रय करने के बिल (लाइसेंस/परमिट) मांगे गए तो अपने पास बिना लाइसेंस/परमिट, क्रय बिल के बिल नहीं होना बताया तथा उक्त दवाइयां बिना डॉक्टर की पर्ची के नशेड़ी प्रवृत्ति के लड़कों को बेचना बताया। इन दवाइयों का नशे के रूप में दुरुपयोग करवाया जाना स्वीकार किया।

इस प्रकार सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया का यह कृत्य धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में दंडनीय अपराध होने पर सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया से बरामदा टेबलेटों की सभी स्ट्रीप पर BATCH NO. TRI–20036 MFG JUN 2020 EXP MAY 2023 अंकित है। सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया से बरामदा उक्त टेबलेटों में से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेटस की 10 टेबलेट को बतौर नमूना सैंपल व 10 टेबलेट को बतौर कंट्रोल सैंपल स्ट्रीप सहित अलग–अलग सफेद कपड़ा की थैली में डालकर सीलमोहर कर नमूना सैंपल पैकेट पर मार्क ए तथा कंट्रोल सैंपल पैकेट पर मार्क बी अंकित किया गया। शेष 2480 स्ट्रीप टेबलेट मय कार्टून को बतौर वजह सबूत एक सफेद प्लास्टिक कट्टा में डालकर सीलमोहर कर पैकेट पर मार्क सी अंकित किया गया।

अभियुक्त सीताराम को वक्त 4.50 पीएम पर धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर जरिए फर्द गिरफ्तार किया जाकर जामा तलाशी ली गई तो सीताराम के पास धारा 52 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस की एक प्रति दाहिने हाथ में मिली, जिस पर पृष्ठांकन कर संलग्न दस्तावेज किया जा रहा है तथा पहनी पैंट की जेब में भूरे रंग का पर्स जिसमें 300 रुपये नकद व एक मूरत पीली धातु की व एक मोबाइल इस्तेमाली स्क्रीन टच वीवो मिला, जो बतौर जामा तलाशी कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया को को वक्त 05.30 पीएम पर धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर जरिए फर्द गिरफ्तार किया जाकर तलाशी ली गई तो सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया के पास धारा 52 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस की एक प्रति दाहिने हाथ में मिली तथा पहनी पेंट की जेब में 50 रुपये नकद, एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला व एक मोबाइल स्क्रीन टच सैमसंग कंपनी का मिला जो बतौर जामा तलाशी कब्जा पुलिस में लिया गया एवं पहनी हुई पेंट की जेब से ट्रांसपोर्ट संबंधी दस्तावेज मिले। नमूना सील फर्द के हासिया पर अंकित किया जाकर वक्त

06.10 पीएम पर चिट दस्तखती नमूना सील अलग से तैयार कर वक्त 6.30 पीएम पर बरामदगी की कार्यवाही में प्रयुक्त मन् थानाधिकारी की व्यक्तिगत सील RK को बतौर वजह सबूत एक सफेद कपड़ा की थैली में डालकर सीलमोहर कर पैकेट पर मार्क D अंकित किया गया। मोटरसाइकिल स्पलेंडर नं. आरजे 13 एसडब्ल्यु 5018 को जिससे अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया द्वारा नशीली टेबलेट का परिवहन किया जा रहा है। अतः वाहन मोटरसाइकिल नं. आरजे 13 एसडब्ल्यु 5018 को बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द हाजा मूर्तिब की गई....इत्यादि। उक्त फर्द के आधार पर आरक्षी केन्द्र सूरतगढ़ शहर, श्रीगंगानगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 243/2020 अंतर्गत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध होकर, बाद आवश्यक अन्वेषण अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्तानुसार आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर दर्ज रजिस्टर किया गया ।

03. प्रकरण में आरोप बहस सुनी जाकर अभियुक्तगण सीताराम, सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया के विरुद्ध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट व अभियुक्त श्योनारायण के विरुद्ध धारा 8/22 सपठित धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अस्वीकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. *उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में दौराने विचारण अभियुक्त श्योनारायण उर्फ शिवनारायण के नियत तारीखपेशियों पर अनुपस्थित रहने के कारण मफरूर घोषित किया गया है। इसलिए आगे साक्ष्य का विवेचन अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया की हद तक ही किया जा रहा है।*

05. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी–

Prosecution Witness		
Rank	Name	Nature of Evidence
पी.ड 1	पवन कुमार	अनुसंधान बाबत
पी.ड 2	धर्मेन्द्र सिंह	बरामदगी बाबत
पी.ड 3	इन्द्राज	बरामदगी बाबत
पी.ड 4	रामकुमार	बरामदगी बाबत
पी.ड 5	पदम सिंह	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना पहुंचाने बाबत
पी.ड. 6	सुनील कुमार	मोटरसाइकिल नं. आरजे 13 एसडब्ल्यु 5018 के स्वामित्व बाबत

पी.ड. 7	सहदेव	मोटरसाइकिल नं. आरजे 13 एसडब्ल्यु 5018 के उपयोग बाबत
पी.ड. 8	हनुमानराम	बरामदगी बाबत
पी.ड. 9	करण अरोड़ा	ट्रांसपोर्ट बाबत
पी.ड. 10	वेदप्रकाश	नक्शा मौका व फर्द गिरफ्तारी मुलजिम श्योनारायण बाबत
पी.ड. 11	महावीर प्रसाद	एफएसएल हेतु अग्रेषण पत्र जारी करने बाबत
पी.ड. 12	ओमप्रकाश	फर्द जब्ती मोबाइल व मोबाइल की सीडीआर की फर्द विश्लेषण बाबत
पी.ड. 13	राज कुमार	मालखाना बाबत
पी.ड. 14	देवीलाल	वजह सबूत एफएसएल जमा कराने बाबत
पी.ड. 15	रामकुमार	इत्तला अभियुक्त सुरेन्द्र व फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त श्योनारायण बाबत
पी.ड. 16	जयपाल सिंह	बरामदगी बाबत

अभियोजन पक्ष ने प्रलेखीय साक्ष्यस्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज व आर्टिकल पेश कर प्रदर्शित करवाये—

Prosecution Exhibit		
क्र.सं.	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी 1, 1 ए	नक्शा मौका व हालात मौका
2.	प्रदर्श पी 2	फर्द इत्तला 27 साक्ष्य अधि. मुलजिम सुरेन्द्र
3.	प्रदर्श पी 3	फर्द इत्तला मुलजिम सुरेन्द्र द्वारा श्योनारायण को गोलियों के पैसे देने बाबत
4.	प्रदर्श पी 4, 4 ए	मुलजिम सुरेन्द्र द्वारा श्योनारायण को गोलियों के पैसे देने बाबत स्थान का नक्शा मौका व हालात मौका
5.	प्रदर्श पी 5	मोबाइल की सीडीआर व लोकेशन बाबत एसपी को जारी पत्र
6.	प्रदर्श पी 6	आपराधिक रिकार्ड सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया
7.	प्रदर्श पी 7	नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट मुलजिम श्योनारायण
8.	प्रदर्श पी 8	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम श्योनारायण
9.	प्रदर्श पी 9	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुलजिम श्योनारायण
10.	प्रदर्श पी 10	मोबाइल सील करने की फर्द
11.	प्रदर्श पी 11	पंजीकरण प्रमाण पत्र मोटरसाइकिल नं. आरजे 13 एसडब्ल्यु 5018
12.	प्रदर्श पी 12	एफएसएल जमा की रसीद

13.	प्रदर्श पी 13	प्रमाण पत्र धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट
14.	प्रदर्श पी 14	धारा 65 के प्रमाण पत्र बाबत एसपी श्रीगंगानगर को जारी पत्र
15.	प्रदर्श पी 15	सहदेव द्वारा सुनील को मोटरसाइकल बेचने बाबत दस्तावेज
16.	प्रदर्श पी 16	सुनील द्वारा सहदेव को मोटरसाइकिल बेचान बाबत शपथपत्र
17.	प्रदर्श पी 17	फर्द विश्लेषण सीडीआर मोबाइल मुलजिम सुरेन्द्र
18.	प्रदर्श पी 18	मुलजिमान की मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल
19.	प्रदर्श पी 19	असल बिल्टी राज. ओकाडा ट्रांसपोर्ट कंपनी
20.	प्रदर्श पी 20	पहचान पत्र सुरेन्द्र
21.	प्रदर्श पी 21	दवाइयों की डिलीवरी का बिल
22.	प्रदर्श पी 22	डिलीवरी रसीद बीकानेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी
23.	प्रदर्श पी 23	एयरटेल कंपनी के नोडल प्रभारी द्वारा जारी धारा 65 बी प्रमाणपत्र
24.	प्रदर्श पी 24	कैफ
25.	प्रदर्श पी 25	सीडीआर
26.	प्रदर्श पी 26	जियो कंपनी के नोडल प्रभारी द्वारा जारी धारा 65 प्रमाण पत्र
27.	प्रदर्श पी 27 से 30	कैफ
28.	प्रदर्श पी 31	सीडीआर (सीडी के रूप में)
29.	प्रदर्श पी 32	एफएसएल रिपोर्ट
30.	प्रदर्श पी 33 से 56	रोजनामचा आम की प्रतियां
31.	प्रदर्श पी 57	नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट मुलजिम सीताराम
32.	प्रदर्श पी 58	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सीताराम
33.	प्रदर्श पी 59	नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट मुलजिम सुरेन्द्र
34.	प्रदर्श पी 60	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सुरेन्द्र
35.	प्रदर्श पी 61	फर्द जब्ती मोटरसाइकिल नं. आरजे 13 एसडब्ल्यु 5018
36.	प्रदर्श पी 62	पूछताछ रिपोर्ट धारा 67 एनडीपीएस एक्ट मुलजिमान सीताराम व सुरेन्द्र
37.	प्रदर्श पी 63	बरामदगी की कार्यवाही में प्रयुक्त सील की फर्द
38.	प्रदर्श पी 64	RK की सील को स्टेंडर्ड सील से सील करने की फर्द
39.	प्रदर्श पी 65	नक्शा मौका घटनास्थल

40.	प्रदर्श पी 66	फर्द बरामदगी
41.	प्रदर्श पी 68	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
42.	प्रदर्श पी 69	एफएसएल जमा रसीद
43.	प्रदर्श पी 70	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की एसपी को प्रेषित सूचना
44.	प्रदर्श पी 71	रवानगी रोजनामचा रामकुमार थानाधिकारी मय जाब्ता
45.	प्रदर्श पी 72	आमद रोजनामचारामकुमार थानाधिकारी मय जाब्ता
46.	प्रदर्श पी 73	धारा 65 बी भा.साक्ष्य अधि. का प्रमाण पत्र
47	प्रदर्श पी 74	न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन भेजने बाबत जारी पत्र
48	प्रदर्श पी 75	आदेशिका दि. 18.09.20 न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ
49	प्रदर्श पी 76	न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ द्वारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के संबंध में जारी पत्र
50	प्रदर्श पी 77	आदेश दिनांक 19.09.20 न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़
51	प्रदर्श पी 78	सत्यापन प्रतिवेदन
52	प्रदर्श पी 79 से 84	इन्वेंट्री कार्यवाही के दौरान खींचे गए फोटोग्राफ्स
53	प्रदर्श पी 85	थानाधिकारी द्वारा एफएसएल जांच हेतु अग्रेषण पत्र जारी करने बाबत एसपी श्रीगंगानगर को जारी पत्र
54	प्रदर्श पी 86	चार्जशीट
55	प्रदर्श पी 87	एसपी का अग्रेषण पत्र
56	प्रदर्श पी 88	मालखाना रजिस्टर
57	प्रदर्श पी 89 (प्रदर्श पी 87)	पुलिस बयान सहदेव

नोटः–अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजों में से प्रदर्श पी –87 पर दो बार प्रदर्श सहवन से डाले गए हैं, इसलिए सुविधा की दृष्टि से प्रदर्श पी 87 पुलिस बयान सहदेव को आगे प्रदर्श पी 89 के रूप में विवेचन के दौरान उच्चारित किया जावेगा।

आर्टिकल–

Prosecution Article Exhibit		
क्र.सं.	**आर्टिकल क्रमांक**	**विवरण**
1.	आर्टिकल–1	मोबाइल

2.	आर्टिकल–2	मार्क–बी कंट्रोल सैंपल ड्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड
3.	आर्टिकल–3	मार्क–बी (नमूना सील)
4.	आर्टिकल–4	एफएसएल से प्राप्त मार्क सीएस–1

06. अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत बताया तथा स्वयं का निर्दोष होने व झूठा फंसाये जाने का अभिवाक् किया। अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षास्वरूप कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई परंतु अभियोजन साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया–

Defence Exhibit		
क्र.सं.	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
1.	प्रदर्श डी 1	पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी जयपाल सिंह
2.	प्रदर्श डी 2 (प्रदर्श डी 1)	पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी देवीलाल

नोटः–अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजों में से प्रदर्श डी–1 पर दो बार प्रदर्श सहवन से डाले गए हैं, इसलिए सुविधा की दृष्टि से प्रदर्श डी 1 पुलिस बयान देवीलाल को आगे प्रदर्श डी 2 के रूप में विवेचन के दौरान उच्चारित किया जावेगा।

07. बहस अंतिम सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता है:–

1– क्या दिनांक 26.06.2020 को समय प्रातः 04.00 एएम या उसके लगभग वाके पुरानी धानमंडी सूरतगढ़ में बीकानेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की तरफ से अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया से एक मोटरसाइकिल हिरो होंडा स्पलेंडर हीरो नंबर आरजे 13 एसडब्ल्यू 5018 पर बीच में रखे एक बैग में से 100 डिब्बों में(प्रत्येक डिब्बे में 25 स्ट्रीप व प्रत्येक स्ट्रीप में 10 गोलियां) कुल 25000 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की नशीली गोलियां बरामद की। एक पत्ते की 10 गोलियों का वजन 5.73 ग्राम व 25000 गोलियों का कुल वजन 14 किलो 325 ग्राम पाया गया। सभी पत्तों पर बैच नंबर TRI

20036 एफएफजी जून 2020 ईएक्सपी मई 2023 अंकित था, की नशीली गोलियां बरामद की ?

2– यदि हाँ, तो उचित दंड क्या हो?

08. गवाह पी.ड. 01 पवन कुमार की साक्ष्य के दौरान प्रदर्श डाले जाने पर अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई आपत्ति का निस्तारणः–

गवाह पी.ड. 01 पवन कुमार की मुख्यपरीक्षा के दौरान जब अभियोजन पक्ष के द्वारा धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र, कैफ व सीडीआर पर प्रदर्श पी 23 से 31 डाले गए तो अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा उक्तानुसार प्रदर्श डाले जाने पर आपत्ति दर्ज की गई, जिस पर उक्त आपत्ति सुरक्षित रखी गई।

उक्त आपत्ति पर बहस अंतिम के दौरान सर्वप्रथम सुना गया। जिस पर अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया किया कि सीडीआर पर न तो उसको जारी करने वाले के हस्ताक्षर हैं, न ही कोई मोहर लगी हुई है। ऐसी स्थिति में ऐसे दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित किए जाने योग्य नहीं है एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से अपने तर्को के समर्थन में **न्यायिक दृष्टांत AIR 2010 SC (SUPP) 753 L.I.C. OF INDIA & ANR. Vs. RAM PAL SINGH BISEN** पेश किया एवं उक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र दस्तावेज पर प्रदर्श डाले जाने से वह दस्तावेज साबित नहीं हो जाता, बल्कि उसे विधिनुसार साबित किया जाना आवश्यक है। इसलिए अभियोजन पक्ष के द्वारा डाले गए प्रदर्श पी 23 से 31 के दस्तावेज सम्यक् रूप से अभियोजन पक्ष के द्वारा साबित नहीं किए गए हैं। इसलिए आपत्ति के अधीन डाले गए प्रदर्श पी 23 से 31 को हटाया जावे। जिसके जवाब में विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा कि उक्त सीडीआर कंप्यूटर जनरेटेड दस्तावेज हैं एवं जिसके संबंध में धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। सीडीआर कंप्यूटर जनरेटेड दस्तावेज होने के कारण इलैक्ट्रोनिक दस्तावेज की श्रेणी में आता है, जिसके संबंध में अभियोजन की ओर से विधिनुसार जारी किया गया धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी पेश कर दिया है। इस प्रकार दस्तावेज सीडीआर पर प्रदर्श डाले जाने में एवं उसको साबित मानकर साक्ष्य में पढ़े जाने में किसी भी प्रकार की विधिक बाध्यता नहीं है। अतः आपत्ति खारिज की जावे।

सुना गया। प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से सीडीआर के समर्थन में सेवा प्रदाता कंपनी के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी प्रदर्शित करवाया है। इस प्रकार सीडीआर के इलैक्ट्रोनिक दस्तावेज होने के मद्देनजर ऐसे दस्तावेज की साक्ष्य में ग्राह्यता के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र भी अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए जाने के कारण दस्तावेज सीडीआर पर प्रदर्श डाले जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक बाध्यता होना प्रकट नहीं होता है एवं उक्त सीडीआर पर उसका प्रिंट निकलवाले या उसको संधारित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या सील नहीं होने के आधार पर ही उक्त सीडीआर भी साक्ष्य में अग्राह्य होने का एक तर्क जो कि अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह तर्क भी विधि अनुरूप नहीं होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है एवं उक्त न्यायिक दृष्टांत अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत तर्कों की रोशनी में उन्हें कोई मदद प्रदान नहीं करता है। तो उक्त दस्तावेजात प्रदर्श पी 23 लगायत 31 के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा किया गया एतराज अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

09. उक्त विचारणीय बिंदू के संबंध में सर्वप्रथम **बरामदगी के विषय पर** विचार किया जाना है। इस संबंध में जब पत्रावली का अध्ययन करते हैं तो जाहिर होता है कि रामकुमार थानाधिकारी (पुलिस निरीक्षक) पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर के द्वारा दर्ज करवाई गई है, जिसमें वर्णित किया गया कि दिनांक 26.06.2020 को थानाधिकारी रामकुमार पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर मय धर्मेन्द्रसिंह एएसआई, जयपालसिंह हैड कानि. 117, इन्द्राज कानि. 443, टिकमचंद कानि. 821, आत्माराम कानि. 1073, हनुमान राम कानि. 461 प्राइवेट वाहन के वास्ते करने गश्त रवाना कस्बा सूरतगढ़ को हुआ। थाना से रवाना होकर कस्बा सूरतगढ़ में गश्त की गई।

दौराने गश्त वक्त 4.00 पीएम पर पुरानी धानमंडी पहुंचा तो बीकानेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक मोटरसाइकिल आता दिखाई दिया, जिस पर दो व्यक्ति सवार हैं, जिनके बीच में एक बड़ा कार्टून रखा होने के कारण शक होने पर रुकवाने का इशारा किया तो हड़बड़ाकर चालक ने मोटरसाइकिल वापिस मोड़ने की कोशिश की, जिस पर मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिर गई। उसी समय मन् थानाधिकारी ने साथी मुलाजमानों की ईमदाद से मोटरसाइकिल चालक व पीछे बैठे व्यक्ति को काबू किया जाकर कार्टून बाबत पूछा

तो दोनों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस पर शक होने पर कार्टून को खोलकर चैक किया तो कार्टून के अंदर ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट नशीली मिली।

मौका पर स्वतंत्र मौतबिर तलब करने चाहे तो वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा अपने–अपने कार्य में व्यस्त होना बताकर रवाना हो गए। जिस पर साथी मुलाजमानों के समक्ष मोटरसाइकिल चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम सीताराम पुत्र कृष्णलाल निवासी वार्ड नं. 09 सूरतगढ़ का होना बताया। पीछे कार्टून पकड़े व्यक्ति से नाम पता पूछा तो इसने अपना नाम सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया पुत्र बाबुलाल निवासी हिन्दौर का होना बताया। सीताराम व सुरेन्द्र सैंधिया को मन् थानाधिकारी व साथी मुलाजमान की तलाशी दी गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली एवं साथी मुलाजमानों के रोबरू कार्टून को चैक किया तो कार्टून के अंदर 100 डिब्बे ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेटस के मिले। प्रत्येक डिब्बा में 25 स्ट्रीप है तथा प्रत्येक स्ट्रीप में 10 टेबलेट हैं। इस प्रकार कार्टून में कुल 25000 टेबलेट हैं। एक स्ट्रीप का वजन कंप्यूटर कांटा से किया गया तो एक स्ट्रीप टेबलेट का वजन 5.73 ग्राम है, 2500 स्ट्रीप टेबलेट का कुल वजन 14.325 किलोग्राम है।

सीताराम व सुरेन्द्र के कब्जा में मिले नशीले टेबलेट किससे खरीद किये हैं, बाबत पूछा तो उक्त दोनों ने बताया कि यह नशीली टेबलेट हमने शिवनारायण पूनिया निवासी सरदारशहर के मार्फत जयपुर मंगवाया था, जिसके मोबाइल नं. 6377570419 है। शिवनारायण पूनिया यह टेबलेट जयपुर से ट्रांसपोर्ट के मार्फत हमें भिजवाता था, जिसके रुपये हम शिवनारायण को मिलने पर नकद देते थे। आज हम यह कार्टून बीकानेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट से प्राप्त कर सीताराम के घर ले जाकर आगे किसी के साथ सौदा कर बेच देते वगैरा वगैरा बताया। सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया के कब्जा में मिले टेबलेट ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड घटक की औषधि है, जो एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों की श्रेणी में आती है, जो कि एन.डी.पी.ए. एक्ट की औषधियों की सूची में मनःप्रभावी (Substance) है। उक्त सभी टेबलेट प्रतिबंधित एवं नशीली है तथ मादक पदार्थ युक्त है, जिन्हें बिना ड्रग लाइसेंस के भण्डारण, क्रय विक्रय एवं परिवहन एवं आधिपत्य नहीं कर सकता है तथा रजिस्टर मैडिकल प्रेक्टिसनर की पर्ची के बिना नहीं बेचा जा सकता है। सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया से उक्त टेबलेटों के लाइसेंस, परिवहन, अभिग्रहण पर क्रय एवं विक्रय करने के बिल (लाइसेंस/परमिट) मांगे गए तो अपने पास बिना लाइसेंस/परमिट, क्रय बिल के बिल नहीं होना बताया तथा उक्त दवाइयां बिना डॉक्टर की पर्ची के नशेड़ी प्रवृत्ति के लड़कों को बेचना बताया। इन दवाइयों का नशे के रूप में दुरुपयोग करवाया जाना स्वीकार किया।

सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया से बरामदा टेबलेटों की सभी स्ट्रीप पर BATCH NO. TRI–20036 MFG JUN 2020 EXP MAY 2023 अंकित है। सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया से बरामदा उक्त टेबलेटों में से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेटस की 10 टेबलेट को बतौर नमूना सैंपल व 10 टेबलेट को बतौर कंट्रोल सैंपल स्ट्रीप सहित अलग–अलग सफेद कपड़ा की थैली में डालकर सीलमोहर कर नमूना सैंपल पैकेट पर मार्क ए तथा कंट्रोल सैंपल पैकेट पर मार्क बी अंकित किया गया। शेष 2480 स्ट्रीप टेबलेट मय कार्टून को बतौर वजह सबूत एक सफेद प्लास्टिक कट्टा में डालकर सीलमोहर कर पैकेट पर मार्क सी अंकित किया गया।

अभियुक्त सीताराम को वक्त 4.50 पीएम पर धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर जरिए फर्द गिरफ्तार किया जाकर जामा तलाशी ली गई तो सीताराम के पास धारा 52 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस की एक प्रति दाहिने हाथ में मिली, जिस पर पृष्ठांकन कर संलग्न दस्तावेज किया जा रहा है तथा पहनी पैंट की जेब में भूरे रंग का पर्स जिसमें 300 रुपये नकद व एक मूरत पीली धातु की व एक मोबाइल इस्तेमाली स्क्रीन टच वीवो मिला, जो बतौर जामा तलाशी कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया को को वक्त 05.30 पीएम पर धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर जरिए फर्द गिरफ्तार किया जाकर तलाशी ली गई तो सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया के पास धारा 52 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस की एक प्रति दाहिने हाथ में मिली तथा पहनी पेंट की जेब में 50 रुपये नकद, एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला व एक मोबाइल स्क्रीन टच सैमसंग कंपनी का मिला जो बतौर जामा तलाशी कब्जा पुलिस में लिया गया एवं पहनी हुई पेंट की जेब से ट्रांसपोर्ट संबंधी दस्तावेज मिले। नमूना सील फर्द के हासिया पर अंकित किया जाकर वक्त 06.10 पीएम पर चिट दस्तखती नमूना सील अलग से तैयार कर वक्त 6.30 पीएम पर बरामदगी की कार्यवाही में प्रयुक्त मन् थानाधिकारी की व्यक्तिगत सील RK को बतौर वजह सबूत एक सफेद कपड़ा की थैली में डालकर सीलमोहर कर पैकेट पर मार्क D अंकित किया गया। मोटरसाइकिल स्पलेंडर नं. आरजे 13 एसडब्ल्यु 5018 को जिससे अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया द्वारा नशीली टेबलेट का परिवहन किया जा रहा है। अतः वाहन मोटरसाइकिल नं. आरजे 13 एसडब्ल्यु 5018 को बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया।

उक्त फर्द बरामदगी को प्रदर्श पी 66 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है तथा इसी फर्द बरामदगी के आधार पर एफआईआर दर्ज करके चाक एफआईआर संख्या

243/2020 पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर में कता की गई, जिसे अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी 68 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है।

10. उक्त फर्द बरामदगी के संदर्भ में जब थानाधिकारी रामकुमार थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर के द्वारा दी गई मौखिक साक्ष्य का अध्ययन करते हैं तो यह जाहिर होता है कि उक्त थानाधिकारी रामकुमार पुलिस निरीक्षक को पी.ड. 04 के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाया गया, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा के दौरान सारतः फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 66 में वर्णित तथ्यों के अनुरूप ही अपनी संपूर्ण साक्ष्य कलमबद्ध करवाई तथा इस गवाह ने उक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 66 पर ए से बी स्वयं के व सी से डी मुलजिम सीताराम के व ई से एफ मुलजिम सुरेन्द्र के हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी है।

इसी प्रकार अन्य दस्तावेज मुलजिम सीताराम को दिए गए नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट को प्रदर्श पी 57, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सीताराम को प्रदर्श पी 58, मुलजिम सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया को दिए गए नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट को प्रदर्श पी 59, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया को प्रदर्श पी 60, चिट दस्तखती नमूना सील को प्रदर्श पी 63, नमूना सील को थाने की स्टेण्डर्ड सील से सील करने की फर्द को प्रदर्श पी 64, फर्द जब्ती मोटरसाइकिल नंबर आरजे 13 एसडब्ल्यु 5018 को प्रदर्श पी 61, पूछताछ रिपोर्ट अंतर्गत धारा 67 एनडीपीएस एक्ट अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया को प्रदर्श पी 10, नक्शा मौका बरामदगी को प्रदर्श पी 65, एफएसएल से प्राप्त सीडी को प्रदर्श पी 69, धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की पालना में पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को भेजी गई रिपोर्ट को प्रदर्श पी 70, स्वयं की रोजनामचा रवानगी को प्रदर्श पी 71, आमद रोजनामचा को प्रदर्श पी 72, धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र को प्रदर्श पी 73, धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात को प्रदर्श पी 74 से 78, फोटोग्राफ्स को प्रदर्श पी 79 से 84, स्वयं की निशानदेही से तैयार नक्शा मौका को प्रदर्श पी 01 व वजह सबूत एफएसएल में जमा कराने हेतु अग्रेषण पत्र जारी करने बाबत एसपी श्रीगंगानगर को जारी पत्र को प्रदर्श पी 85 के रूप में प्रदर्शित करवाया।

जब इस गवाह से जिरह की गई तो दिनांक 26.06.2020 को दौराने गश्त मुलजिमान सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया के कब्जे से एक मोटरसाइकिल नंबर आरजे 13 एसडब्ल्यु 5018 पर उक्त दोनों के बीच में रखे कार्टून में से 100 डिब्बों(प्रत्येक डिब्बे में 25

पत्ते) में से कुल 2500 पत्तों में पैक 25000 कुल वजन 14 किलो 325 ग्राम **तथाकथित अवैध नशीली टेबलेट ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड** की बरामदगी होने के तथ्यों को खंडित करने के विषय में कोई भी सारभूत जिरह नहीं की गई, बल्कि इस गवाह से जो जिरह की गई है वह पहले कार्टून को खोलकर चैक करने तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान की तलाश करने, स्वतंत्र गवाहान धर्मेन्द्र सिंह व जयपाल दोनों का अधीनस्थ कर्मचारी होने, स्वतंत्र मौतबिर गवाह बुलाने के लिए कोई लिखित नोटिस व फर्द जारी नहीं करने, एंड्रोयड मोबाइल सबके पास होने के बावजूद भी बरामदगी की कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी नहीं करवाये जाने, प्रदर्श पी 1 बनाते समय गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के किसी भी कर्मचारी तथा अन्य दुकान वालों को मौके पर नहीं बुलाने, जैसे विषयों पर ही जिरह इस गवाह से की गई है। जहां तक प्रश्न वीडियोग्राफी का है तो इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता कि बरामदगी की घटना की वीडियोग्राफी नहीं करवाई गई है। लेकिन वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करवाना विधि द्वारा आज्ञापक किया गया हो, ऐसे भी किसी विधिक प्रावधान की ओर न्यायालय का ध्यान अधिवक्ता अभियुक्तगण आकर्षित करने में असफल रहे हैं, तो फिर ऐसे किसी आज्ञापक प्रावधान के बिना उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के बाबत दिए गए सुझाव व प्रस्तुत किए गए तर्क सारहीन हो जाते हैं। वहीं स्वतंत्र गवाहान के संबंध में की गई उक्त जिरह व इस विषय पर प्रस्तुत तर्कों के बाबत पश्चातवर्ती स्टेज पर विवेचन किया जावेगा।

11. अभियोजन की ओर से फर्द बरामदगी के अन्य गवाह धर्मेन्द्र सिंह को पी.ड. 02, इन्द्राज को पी.ड. 03, हनुमान राम को पी.ड. 08 व जयपाल सिंह को पी.ड. 16 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया है।

जब हमराह जाब्ते के गवाह धर्मेन्द्र सिंह एएसआई को पी.ड. 02 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया तो इस गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में तो सारभूत रूप से बरामदगीकर्ता पी.ड. 04 रामकुमार थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर की साक्ष्य के अनुरूप ही सारतः साक्ष्य दी है, वहीं इस गवाह से भी मुख्यतः जिरह स्वतंत्र गवाह को तलब करने से पूर्व कार्टून खोले जाने, गवाह तलब करने हेतु थानाधिकारी द्वारा लिखित में नोटिस नहीं दिए जाने, घटनास्थल पर स्थिति धानमंडी में दुकानें बनी होने, धानमंडी व्यस्ततम स्थ्ळाल होने से वहां पर टैम्पो, प्राइवेट बसों के आने जाने व रेहड़ियां लगी होने, नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 में दर्शाई गई दुकानों में दुकान के मालिक अथवा वहां कार्यरत व्यक्तियों को

स्वतंत्र गवाह हेतु मौखिक रूप से बुलाये जाने लेकिन गवाह बनने से इंकार करने जैसी जिरह की गई है।

वहीं जाब्ते के अन्य गवाहान पी.ड. 3 इन्द्राज कानि. 443, पी.ड. 8 हनुमान राम कानि. 461 व पी.ड. 16 जयपाल सिंह हैड कानि. 117 के द्वारा भी अपनी मुख्यपरीक्षा में दी गई साक्ष्य से बरामदगीकर्ता पी .ड. 04 रामकुमार थानाधिकारी(पुलिस निरीक्षक) पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर के द्वारा दी गई साक्ष्य का ही समर्थन होता है एवं उक्त गवाहान से की गई जिरह में ऐसा कोई भी तथ्य निकलकर सामने नहीं आया जो कि बरामदगीकर्ता रामकुमार की साक्ष्य को खंडित करता हो या बरामदगीकर्ता की साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता हो।

इसके अतिरिक्त स्वतंत्र गवाह पी .ड. 09 करण अरोड़ा की साक्ष्य का अवलोकन करें तो इस गवाह ने अपने सशपथ बयानों में कथन किए हैं कि उसका सूरतगढ़ में बीकानेर गोल्डन कंपनी के नाम से ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। दिनांक 25.06.2020 को ट्रांसपोर्ट पर राजस्थान ओकाडा गोल्डन कैरियर से जीआर नंबर 40032 दिनांक 22.06.20 जयपुर से गंगानगर होते हुए दवाइयों का एक कार्टून आया, जिसकी बिल्टी साथ थी जो डॉ. सुरेन्द्र सिंह के नाम से जारी हुई थी। दिनांक 26.06.20 को सुरेन्द्र पुत्र बाबूलाल दवाइयों का कार्टून लेने आया,जिसे द्वारा व्हाट्सएप से बिल्टी दिखाई गई जो उनकी मूल बिल्टी से मिलान हो रही थी। गवाह ने राजस्थान ओकाडा कंपनी से आया कार्टून उसे(सुरेन्द्र) दे दिया। बाहर मोटरसाइकिल पर लड़का खड़ा था, उसके साथ लेकर कार्टून रवाना हो गया। राजस्थान ओकाडा से आई बिल्टी प्रदर्श पी 19 है। उसके द्वारा कार्टून देते समय पहचान के लिए सुरेन्द्र पुत्र बाबूलाल की आईडी की कॉपी ली थी जो प्रदर्श पी 20 है। मैडिसन का बिल प्रदर्श पी 21 व डिलीवरी रसीद प्रदर्श पी 22 है। जिरह में इस गवाह ने इस सुझाव को सही होना बताया कि ट्रांसपोर्ट के जरिए जो कार्टून आया था, उसे चैक नहीं किया गया था। इस प्रकार इस गवाह के कथनों से दिनांक 26.06.2020 को दवाइयों का एक कार्टून आने जिसकी बिल्टी डॉ. सुरेन्द्र के नाम जारी होने, जो अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र बाबूलाल को देने, जिसके द्वारा बाहर मोटरसाइकिल पर खड़े लड़के के साथ कार्टून लेकर जाने के संबंध में जो साक्ष्य आई है, उसका लेशमात्र भी खंडन इस गवाह की जिरह से नहीं हो रहा है।

इस प्रकार पी.ड. 04 रामकुमार थानाधिकारी(पुलिस निरीक्षक) पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर तथा हमराह साथी मुलाजमान से की गई जिरह का मुख्य आधार मौके पर

टैम्पों, बसों के आने–जाने, वहां पर रेहड़ियां लगी होने, आसपास धानमंडी की दुकानें होने, स्वतंत्र गवाह बुलाने से पूर्व कार्टून खोले जाने, आसपास के लोगों व दुकानदारों को गवाह बनने के लिए कहने लेकिन किसी के गवाह बनने हेतु तैयार नहीं होने के तथ्यों को ही आधार बनाते हुए फर्द बरामदगी दूषित होने के बाबत जिरह की गई।

12. प्रकरण में स्वयं बरामदगीकर्ता पी.ड. 04 रामकुमार द्वारा अभियुक्त सीताराम व सुरेन्द्र से मिली गोलियों में से एक–एक पता 10–10 टेबलेट का बतौर कंट्रोल सैंपल व नमूना सैंपल अलग–अलग सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर नमूना सील पर मार्क–ए तथा कंट्रोल सैंपल पर मार्क–बी अंकित किया। शेष बची टेबलेटस पर कार्टून के साथ सफेद कट्टा में डालकर सीलमोहर कर मार्क–सी अंकित किया। तत्पश्चात वजह सबूत एफएसएल जांच हेतु भिजवाये जाने बाबत जिला पुलिस अधीक्षक से निवेदन हेतु अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 85 जारी करने का कथन किया गया है।

13. **बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्तगण का एक मुख्य तर्क यह रहा है** कि घटनास्थल सूरतगढ़ शहर में स्थित धानमंडी में आम सड़क पर है, जहां पर लोगों का आवागमन रहता है, परंतु फिर भी स्वतंत्र लोगों को हस्तगत प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। इस कारण अभियोजन कहानी संदेहग्रस्त हो जाती है। इस संबंध में जब फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–66 का अध्ययन करते हैं तो यह जाहिर होता है कि उक्त फर्द बरामदगी पर जिन व्यक्तियों को गवाहान के रूप में रखा गया है, वे सभी पुलिस मुलाजमान है तथा नजरी नक्शा घटनास्थल भी जिन गवाहान के सामने बनाया गया है, वे भी पुलिस मुलाजमान है। परंतु फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–66 में बरामदगीकर्ता अधिकारी पी.ड. 04 राकुमार ने यह स्पष्ट तथ्य अंकित किया है कि **''मौका पर स्वतंत्र मौतिबिर गवाह तलब करने चाहे तो वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा अपने–अपने कार्य में व्यस्त होना बताकर रवाना हो गए, जिस पर साथी मुलाजमानों के समक्ष मोटरसाइकिल चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम सीताराम तथा पीछे कार्टून पकड़े व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया बताया। संदिग्ध सीताराम व सुरेन्द्र सैंधिया को मन थानाधिकारी व साथी मुलाजमान की तलाशी दी गई, मन थानाधिकारी व साथी मुलाजमान के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।''** वहीं इसी प्रकार का कथन बरामदगीकर्ता अधिकारी पी.ड. 04 रामकुमार ने अपने सशपथ बयानों में भी किया है। फर्द बरामदगी समय 04.00 पीएम पर मूर्तिब होने का तथ्य प्रदर्श पी 66 फर्द बरामदगी से होता है। वहीं नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 65 का अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि घटनास्थल पुरानी धानमंडी प्रांगण सूरतगढ़ शहर का है। तथा स्वतंत्र गवाहान की तलाशी हेतु किसी साथी मुलाजमान को पी.ड. 04 रामकुमार बरामदगीकर्ता के द्वारा भेजा गया तो ऐसा भी अभियोजन की साक्ष्य से निष्कर्ष नहीं निकलता है। **इसलिए फर्द बरामदगी के गवाहान मात्र पुलिसकर्मी होने से ही क्या सम्पूर्ण बरामदगी की कार्यवाही दुषित हो गई?** इस विषय पर विचार करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर **न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम**

पी.के. पाठक 1981 (2) SCC 1 में मत प्रकट किया कि स्वतंत्र साक्षी की अनुपलब्धता/अनुपस्थिति, तलाशी एवं अभिग्रहण की कार्यवाही को दुषित नहीं करती है। यह मात्र न्यायालय पर कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह साक्ष्य की संविक्षा /जांच अत्यधिक सावधानी से करे।

न्यायिक दृष्टांत **जगविन्द्र बनाम पंजाब राज्य** क्रिमीनल अपील नंबर 2027/2012 के पैरा नंबर 07 में निम्नानुसार मत प्रकट किया हैः–

''We find no merit in this appeal. Law does not require only an independent witness to prove a charge attracting the provision of NDPS Act. As was rightly held by the Courts below, there is procedural compliance with respect to arrest, seizure and recovery. PW–3 is competent to undertake the exercise of gathering evidence and, in any case, PW–7 who himself is a gazetted officer was very much present. The recovery was also made from the car. The views expressed by the Courts below that non–filling of the CFCL form at the site where the arrest and recovery was made would not vitiate the case as it constitutes a part of procedural law.''

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्यायिक दृष्टांत राजेश धीमन बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश** MANU/SC/0787/2020 में निम्नानुसार मत प्रकट किया है किः–

"Para No. 18 – As correctly appreciated by the High Court In detail, non examination of independent witnesses would not ipso facto entitle one to seek acquittal."

आपराधिक अपील संख्या 1327/2010 **रामस्वरूप बनाम स्टेट आफ दिल्ली निर्णय दिनांक** 21.5.2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायिक निर्णय स्टेट आफ एनसीटी दिल्ली बनाम सुनील कुमार एवं अन्य को उद्धृत करते हुए यह माना है कि यह प्राचीन मान्यता थी कि पुलिस अधिकारी के कृत्य को प्रारंभ से ही अविश्वास की दृष्टि से देखा जाये तथा ब्रिटिश काल में उक्त मान्यता को अधिक प्रबुद्धता से ग्राह्य किया जाता था, परंतु अब समय आ गया है कि कम से कम पुलिस अधिकारी के कृत्य तथा उनके बनाये गये प्रलेखों पर प्रारम्भिक विश्वास किया जाये तथा न्यायालय इस उपधारणा के साथ कार्यवाही नहीं कर सकती है कि पुलिस अभिलेख अविश्वसनीय हैं, अपितु उपधारणा की प्रतिपादना

दूसरी तरह से होनी चाहिए कि पुलिसकर्मियों के कार्यालयी कृत्य नियमित रूप से निष्पादित हैं तथा विधायिका द्वारा भी मान्य किए जाते रहे हैं। अतः जब पुलिसकर्मी न्यायालय में यह साक्ष्य देता है कि उसके समक्ष निश्चित वस्तु अभिग्रहित/बरामद की गई है तो न्यायालय उसे सत्य मानेगा, जब तक कि उसे प्रतिपरीक्षा के माध्यम से या अंन्य किसी साक्ष्य या प्रलेखों के माध्यम से यह नहीं बता दिया जाता कि उक्त पुलिसकर्मी की साक्ष्य अविश्वसनीय है या उस पर कार्यवाही करना विशिष्ट प्रकरण में असुरक्षित हो सकता है। यदि न्यायालय के समक्ष पुलिस अभिलेखों पर संदेह करने का अच्छा कारण है, तब न्यायालय निश्चित रूप से यह तथ्य दृष्टिगत रख सकती है कि स्वतंत्र साक्षी अभिग्रहण के समय उपस्थित नहीं था, परन्तु यह वैधानिक रूप से स्वीकृत प्रकिया नहीं है कि प्रारंभ से ही पुलिस द्वारा निष्पादित कृत्यों को इसलिए अविश्वसनीय माना जाये कि उनके द्वारा स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए गए हैं या उन्हें उपस्थित नहीं रखा गया है।

न्यायिक दृष्टांत **रामजीराय व अन्य बनाम स्टेट आफ बिहार 2007 (2) SCC (Cri.) 626** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि अब यह सुस्थापित है कि अभियोजन प्रकरण को प्रभावित करने के लिए साक्षीगण की संख्या नहीं, अपितु साक्ष्यिक गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है।

न्यायिक दृष्टांत **इकबाल मूसा पटेल बनाम गुजरात राज्य (2011)2 SCC 198** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि आपराधिक प्रकरण में यह सत्य है कि अभियोजन पक्ष को प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, परन्तु इसका तात्पर्य यह कदाचित नहीं है कि **"प्रमाण की मात्रा"** पूर्णतया तकनीकी दक्षता के समान हो। यह प्रमाण की मात्रा पूर्ण निश्चिंतता पर पहुंचे, यह आवश्यक नहीं है, परंतु यह मात्रा उच्चतर श्रेणी की संभाव्यता होनी चाहिए। विधि उस स्थिति में समाज की संरक्षा में असफल हो जायेगी यदि परिकल्पनीय संभावनाओं के आधार पर साक्ष्य को अविश्वसनीय मान लिया जायेगा, यदि साक्ष्य अत्यधिक सुदृढ़ है तथा अभियुक्त के पक्ष में दूरस्थ संभावना ही प्रकट होती है तब भी यह ही माना जायेगा कि प्रकरण को अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे प्रमाणित कर दिया है। यह भी सत्य है कि हमारे वर्तमान विधिशास्त्र में इस उपधारणा के साथ ही बढ़ना होता है कि अभियुक्त निर्दोष है, परंतु यह उपधारणा इसी आधार पर निर्णीत की जाती है कि युक्तियुक्त प्रज्ञावान व्यक्ति भी उसे निर्दोष समझे। मात्र संदेह को तलाशना व तुच्छ आधार पर संदेह का लाभ देना इस राष्ट्र की विधि नहीं है।

वहीं आगे जब इस संबंध में स्वतंत्र गवाहान को रिकार्ड पर नहीं लेने के कारण, प्रकरण पर पड़ने वाले प्रभाव की विधिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत Sadhu Saran Singh Vs. State of U.P. (2016)4 SCC 357 के **पैरा नं.** 21(vi) में निम्नानुसार मत प्रकट किया है–

''As far as the non–examination of any other independent witness is concerned, there is no doubt that the prosecution has not been able to produce any independent witness. But, the prosecution case cannot be doubted on this ground alone. In these days, civilized people are generally insensitive to come forward to give any statement in respect of any criminal offence. Unless it is inevitable, people normally keep away from the Court as they feel it distressing and stressful. Though this kind of human behaviour is indeed unfortunate, but it is a normal phenomena. We cannot ignore this handicap of the investigating agency in discharging their duty. We cannot derail the entire case on the mere ground of absence of independent witness as long as the evidence of the eyewitness, though interested, is trustworthy.''

14. इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत Giriga Prasad (Dead) by LRS Vs. MP SCC (Cri.) (2007)3 475 के **पैरा नंबर** 24, 25 **व** 26 में निम्नानुसार मत प्रकट किए हैं–

Para No. 24. in our judgment, the above proposition does not lay down correct law on the point. It is well–settled that credibility of witness has to be tested on the touchstone of truthfulness and trustworthiness. It is quite possible that in a given case, a Court of Law may not base conviction solely on the evidence of Complainant or a Police Official but it is not the law that police witnesses should not be relied upon and their evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars by other independent evidence. The presumption that every

person acts honestly applies as much in favour of a Police Official as any other person. No infirmity attaches to the testimony of Police Officials merely because they belong to Police Force. There is no rule of law which lays down that no conviction can be recorded on the testimony of Police Officials even if such evidence is otherwise reliable and trustworthy. The rule of prudence may require more careful scrutiny of their evidence. But, if the Court is convinced that what was stated by a witness has a ring of truth, conviction can be based on such evidence.

Para No. 25. – It is not necessary to refer to various decisions on the point. We may, however, state that before more than half–a–century, in the leading case of Aher Raja Khima v. State of Saurashtra, AIR 1956 SC 217, Venkatarama Ayyar, J. stated:

"The presumption that a person acts honestly applies as much in favour of a police officer as of other persons, and it is not judicial approach to distrust and suspect him without good grounds therefor. Such an attitude could do neither credit to the magistracy nor good to the public. It can only run down the prestige of the police administration".

Para No. 26. In Tahir v. State (Delhi), (1996) 3 SCC 338, dealing with a similar question, Dr. A.S. Anand, J. (as His Lordship then was) stated:

"Where the evidence of the police officials, after careful scrutiny, inspires confidence and is found to be trustworthy and reliable, it can form basis of conviction and the absence of some independent witness of the locality to lend corroboration to their evidence, does not in any way affect the creditworthiness of the prosecution case."

उक्त तमाम न्यायिक मत के मद्देनजर जब गवाह पी.ड. 04 रामकुमार बरामदगीकर्ता की साक्ष्य का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि गवाह पी .ड. 04 रामकुमार के द्वारा मौके की परिस्थिति बाबत जो उक्तानुसार कथन किये हैं, उसके संदर्भ में इस गवाह से ऐसी जिरह नहीं की गई है, जो इस गवाह की साक्ष्य को खंडित करती है। इसके अतिरिक्त यदि यह मान भी लिया जावे कि मौके पर सामान्य अनुक्रम में ही स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे, तो भी पुलिस कर्मियों की साक्ष्य पर क्यों अविश्वास किया जावे इसका कारण भी अधिवक्ता अभियुक्तगण स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। यह उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि अधिवक्ता अभियुक्तगण को जिरह का पर्याप्त मौका मिला हो, लेकिन अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए बरामदगी के गवाहान की साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास प्रकट ना हुआ हो।

15. **अब न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि मुलजिमान सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया से*तथाकथित नशीली टेबलेट ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड* बरामद किए जाने के संबंध में क्या विधि द्वारा विहित की गई समस्त प्रक्रियाओं की पालना की गई या नहीं?**

इस संबंध में जब पत्रावली का अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि बरामदगीकर्ता अधिकारी (पुलिस निरीक्षक) पी.ड.4 रामकुमार थानाधिकारी थाना सूरतगढ़ शहर की साथी मुलाजमानों मय सरकारी जीप के थाने से दिनांक 26.06.2020 को 04.00 पी.एम. पर रवानगी का तथ्य रवानगी रोजनामचा प्रदर्श पी 71 से साबित होता है एवं बाद संपूर्ण कार्यवाही करने पर आमद का तथ्य आमद रोजनामचा प्रदर्श पी–72 से साबित होता है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–66 से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में मुलजिमान से बरामदगी चांस रिकवरी के रूप में है, क्योंकि मुलजिमान के संबंध में कोई भी पूर्व इत्तला बरामदगीकर्ता अधिकारी रामकुमार थानाधिकारी थाना सूरतगढ़ शहर को नहीं थी। ऐसी स्थिति में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाना भी आवश्यक नहीं था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्यायिक दृष्टांत हिमाचल राज्य बनाम सुनील कुमार 2014 (4) एससीसी 780** के **पैरा नं. 21 में** निम्नानुसार स्पष्ट मत प्रकट किया है–

''We are not in agreement with the view of the High Court that since the police officers had a positive suspicion that Sunil Kumar was carrying some contraband, therefore, it could be said or assumed that they had reason to believe or prior information that he was carrying charas or

some other narcotic substance and so, before his personal or body search was conducted, the provisions of Section 50 of the Act ought to have been complied with. The recovery of charas on the body or personal search of Sunil Kumar was clearly a chance recovery and, in view of Baldev Singh, it was not necessary for the police officers to comply with the provisions of Section 50 of the Act.''

16. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में भी चांस रिकवरी होने के कारण धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की पालना किया जाना आज्ञापक नहीं होने के कारण बरामदगीकर्ता अधिकारी के द्वारा मुलजिमान को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस नहीं दिया जाना अभियोजन कहानी पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है।

17. फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–66 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र मौतबिर गवाह बनाने हेतु प्रयास करने, परंतु गवाहान द्वारा अपने–अपने कार्य में व्यस्त होना बताकर रवाना होने के कारण साथी मुलाजमान धर्मेन्द्र सिंह व जयपाल सिंह को ही हस्तगत प्रकरण की बरामदगी में, बरामदगी के गवाह के रूप में रखा गया है एवं बरामदगी से पूर्व थानाधिकारी द्वारा साथी मुलाजमान की तलाशी ली जाकर व स्वयं की तलाशी साथी मुलाजमान को दी जाकर एवं उक्त तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलने के पश्चात ही मुलजिम की तलाशी ली गई है। तत्पश्चात गिरफ्तारी से पूर्व मुलजिम सीताराम को धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–57 तथा मुलजिम सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया को धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–59 दिया गया है एवं तत्पश्चात मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई है । फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सीताराम प्रदर्श पी–58 व फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया प्रदर्श पी–60 के रूप में प्रदर्शित करवाई गई है। उक्त गिरफ्तारी के पश्चात मुलजिमान की गिरफ्तारी की सूचना जब्तीकर्ता पी.ड. 04 रामकुमार (पुलिस निरीक्षक) थानाधिकारी थाना सूरतगढ़ शहर के द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को धारा 57 एनडीपीएस एक्ट के अनुसार दी गई, जिस सूचना को प्रदर्श पी–70 के रूप में अभियोजन की ओर से प्रदर्शित करवाया गया एवं उक्त सूचना को लेकर जाने वाले कांस्टेबल पदम सिंह कानि. की थाने से रवानगी के रोजनामचा को प्रदर्श पी–51 के रूप में तथा आमद को प्रदर्श पी–49 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है।

18. **जहां तक प्रश्न बरामदगीकर्ता रामकुमार थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर का हस्तगत प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही किए जाने के लिए सक्षम होने का है** तो इस संबंध में पत्रावली पर आई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि बरामदगीकर्ता रामकुमार हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही करते समय पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था तथा रैंक के अनुसार वह उस समय पुलिस निरीक्षक की रैंक को धारण किए हुए था।

इस संबंध में निम्न **न्यायिक दृष्टांत–**

1. मोहनलाल बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 2015 एससी 2098

2. राजस्थान राज्य बनाम भैंरूलाल एआईआर 2013 एससी 2288

3. असलम भाई इब्राहिम भाई मंसूरी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 1990 क्रिमिनल लॉ जनरल Cri.L.J 1787

4. एसडी ओबेदिन उर्फ नहामाचा बनाम मणिपुर राज्य 1991 क्रिमिनल लॉ जनरल 696

5. के.जी. सलीम बनाम केरला राज्य 2001 क्रिमिनल लॉ जनरल 4364

का ससम्मान अध्ययन किया तथा धारा 42 व 43 एनडीपीएस एक्ट का अवलोकन किया।

उक्त धाराओं में वर्णित विधिक प्रावधान तथा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित मत के संदर्भ में बरामदगीकर्ता अधिकारी रामकुमार का पुलिस निरीक्षक की श्रेणी का अधिकारी होकर थानाधिकारी के रूप में पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर में पदस्थापित होने के कारण हस्तगत प्रकरण की बरामदगी कार्यवाही करने के लिए एक सक्षम अधिकारी होना स्थापित हो जाता है।

19. **अब प्रश्न यह है कि क्या मौके पर जब्त *तथाकथित ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेटस मादक पदार्थ* का थाने के मालखाना तक आने एवं मालखाना से एफएसएल तक पहुंचने तक की प्रक्रिया में क्या कोई त्रृटि, चूक या विधिक प्रावधानों की अवहेलना हुई?**

इस संबंध में पत्रावली के अध्ययन से यह जाहिर होता है कि मालखाना प्रभारी राजकुमार को पी.ड. 13 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है। उक्त गवाह ने अपनी

मुख्यपरीक्षा में ही कथन किया कि दिनांक 26.06.2020 को वह पीएस सूरतगढ़ शहर में मालखाना प्रभारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुकदमा नम्बर 243/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के वजह सबूत उसे बरामदगीकर्ता रामकुमार पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाना में जमा करने के लिए सुपुर्द किए थे। वजह सबूत कुल संख्या में 08 थे। उसके द्वारा वजह सबूत को मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 144/1044 पर दर्ज किया था। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 88 है, जिस पर ए से बी सात वजह सबूत दर्ज करने का इन्द्राज है, जिस पर सी से डी पुलिस निरीक्षक रामकुमार के हस्ताक्षर है व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 88 ए है। दिनांक 27.06. 2020 को उसके द्वारा सील्ड पैकेट मार्क–ए अग्रेषण पत्र जारी कर एफएसएल में जमा करवाने के लिए देवीलाल एफसी को सुपुर्द किया गया था, जिसका इन्द्राज जी से एच है, जिसके नीचे ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व आई से जे देवीलाल के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27.06.2020 को देवीलाल एफसी ने जारीसुदा अग्रेषण पत्र मय सील्ड वजह सबूत मार्क–ए अगले दिन रविवार का अवकाश होने के कारण उसके पास वापस जमा करवाया था, जिसका इन्द्राज के से एल है, जिसके नीचे ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व आई से जे देवीलाल के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 28.06.2020 को समय 8 पीएम पर उसके द्वारा जारी चिट्ठी मय पैकेट मार्क–ए देवीलाल को देकर रवाना किया था, जिसका इन्द्राज एम से एन है, जिसके नीचे ई से एफ उसके व आई से जे देवीलाल के हस्ताक्षर है। दिनांक 30.06.2020 को देवीलाल ने वजह सबूत मालखाना में जमा करवाकर वापस आकर रसीद उसके सुपुर्द की थी, जिसका इन्द्राज ओ से पी है, जिसके नीचे ई से एफ उसके व आई से जे देवीलाल के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 88 पर एक्स स्थान पर आरके की नमूना सील का अकंन है।

उक्त समस्त प्रक्रिया का माल मशरूका बरामदगीकर्ता अधिकारी के द्वारा ही तत्समय मालखाना इंचार्ज पी.ड. 13 राजकुमार को जमा करवाया था, जिन तथ्यों की पुष्टि भी मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 88 से होती है। दिनांक 27.06.2020 को ही सैंपल वाहक देवीलाल एफसी को सैंपल पैकेट मार्क–ए एफएसएल जांच हेतु देने, जिस पर देवीलाल एफसी द्वारा चिट्ठी जारी करवाकर अवकाश होने के कारण वजह सबूत मय कागजात संभलाने तथा दिनांक 28.06.2020 को सैंपल पैकेट एफएसएल जांच हेतु देने पर दिनांक 29.06.2020 को देवीलाल एफसी द्वारा उक्त माल को एफएसएल में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद 30.06.2020 को सुपुर्द करने, जिसका इन्द्राज ओ से पी होने तथा जिसके नीचे ई से एफ स्वयं व आई से जे सैंपल वाहक देवीलाल एफसी के हस्ताक्षर होने की भी पुष्टि प्रदर्श पी–88 मालखाना रजिस्टर से होती है। इस गवाह ने अपने सशपथ बयानों में यह भी कथन किया है कि जब तक वजह सबूत उसके पास रहे, सुरक्षित हालत में रहे । एफएसएल जमा

रसीद को अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी 12 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। इस गवाह से जो जिरह की गई है, उससे इस गवाह के मुख्यपरीक्षा में किए गए कथनों का सारतः खंडन नहीं हो पाया है।

ऐसी स्थिति में बरामदगीकर्ता अधिकारी रामकुमार के द्वारा मुलजिमान के द्वारा मोटरसाइकिल पर ले जाये जा रहे एक कार्टून में से 100 डिब्बों में से बरामद **25000 ड्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेटस** के सील्ड पैकेट्स मार्क–ए, बी, सी व डी सील्ड अवस्था में थाने के मालखाने में जमा करवाये जाने, मालखाने से पैकेट्स मार्क–ए सील्ड अवस्था में निकालकर एफएसएल में भेजने हेतु सील्ड अवस्था में सैंपल वाहक को सुपुर्द करने व उक्त सैंपल की जमा रसीद प्राप्त कर मालखाना में जमा होने तक के संबंधी जो भी साक्ष्य गवाह पी.ड. 13 राजकुमार के द्वारा दी गई है वह पूर्णतः अखंडित रही है।

20. **जहां तक प्रश्न सैंपल वाहक के द्वारा मालखाना इंचार्ज पी.ड. 13 राजकुमार से सैंपल पैकेट मार्क–ए सील्ड अवस्था में प्राप्त करने तथा उसे सील्ड अवस्था में ही एफएसएल में जमा करवाये जाने का है** तो इस संबंध में जब पी.ड. 11 महावीर प्रसाद की साक्ष्य का अध्ययन करते हैं तो यह जाहिर होता है कि इस गवाह ने सशपथ साक्ष्य दी है कि देवीलाल एचसी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर से मुकदमा नं. 243/2020 का वजह सबूत सील्ड पैकेट मार्क–ए मय कागजात अग्रेषण पत्र जारी करने हेतु कार्यालय में आये थे। उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को कागजात वजह सबूत चैक करवाए व उसने स्वयं ने चैक किए। पैकेट सील्ड व सुरक्षित था। उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अग्रेषण पत्र क्रमांक 780 दिनांक 27.06.2020 जारी करवाया जो प्रदर्श पी 87 है, जिस पर ए से बी भाग देवीलाल, सी से डी पर कार्यवाहक एसपी ओमप्रकाश चौधरी के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह अधीनस्थ कार्य करने के कारण पहचानता है। जिरह में इस गवाह ने स्वयं के जांच करने व एसपी श्रीगंगानगर द्वारा जांच कर उस पर हस्ताक्षर करने के समय कानि. देवीलाल के साथ होने का कथन किया है।

इस प्रकार उक्त साक्षी ने विशेष वाहक देवीलाल एफसी द्वारा सील्ड अवस्था में ही उक्त सैंपल मय दस्तावेजात एसपी कार्यालय श्रीगंगानगर में अग्रेषण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करने, तत्पश्चात स्वयं द्वारा चैक करने पर पैकेट सील्ड व सुरक्षित होने के संबंध में जो साक्ष्य दी है। उसके संबंध में इस गवाह से की गई जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जो कि इस गवाह की उक्त साक्ष्य को खंडित करता हो एवं इस बाबत संदेह प्रकट

करता हो कि सैंपल वाहक के द्वारा मालखाना इंचार्ज से सील्ड अवस्था में सैंपल प्राप्त कर, उसके समक्ष सील्ड अवस्था में पेश नहीं किए हो या इस गवाह द्वारा पुनः सील्ड अवस्था में सैंपल वाहक को एफएसएल जयपुर में जमा करवाने हेतु ना दिए हों।

इस प्रकार जहां तक प्रश्न मुलजिमान से एक मोटरसाइकिल पर एक कार्टून में से 25000 तथाकथित ड्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेटस की बरामदगी के दौरान एनडीपीएस अधिनियम में वर्णित प्रक्रियात्मक विधिक प्रावधानों की पूर्णतः पालना होने का है तो उपरोक्त विवेचनानुसार जो दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य रिकार्ड पर आई है उससे जाहिर होता है कि बरामदगीकर्ता पी.ड. 04 रामकुमार थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर को इत्तला प्राप्त होने से लेकर मुलजिमान द्वारा मोटरसाइकिल पर ले जाये जा रहे एक कार्टून में से बरामदगी, सैंपल लेने, सैंपल सील्ड अवस्था में ही मालखाने में लिये जाकर, एफएसएल में सील्ड अवस्था में ही जमा करवाने की प्रक्रिया में एनडीपीएस अधिनियम में इस संबंध में वर्णित समस्त प्रक्रियात्मक विधिक प्रावधानों की पालना किए जाने का तथ्य साबित होता है एवं उक्त प्रावधानों की चूक किए जाने के बाबत, ऐसा लेशमात्र भी साक्ष्य बरामदगीकर्ता अधिकारी, बरामदगी के गवाहों, सैंपल वाहक तथा मालखाना इंचार्ज से की गई जिरह में प्रकट नहीं हुई है, जो कि उक्त विधिक प्रावधानों की पालना नहीं किए जाने के कारण बरामदगी को दूषित करता हो।

21. **जब धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के संबंध में जब पत्रावली का अध्ययन करते हैं** तो पत्रावली के अध्ययन से सर्वप्रथम तो यह तथ्य स्पष्ट होता है कि थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर द्वारा धारा 52 ए एनडीपीएस की कार्यवाही हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर , न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढत्र द्वारा दिनांक 18.09.2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर को जब्तशुदा माल की इन्वेंट्री कार्यवाही हेतु वजह सबूत आदि के साथ उपस्थित रहने बाबत आदेशिका प्रदर्श पी 75 जारी की जाकर तहरीर प्रदर्श पी 76 के जरिए सूचित किया गया। तत्पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ द्वारा आदेशिका प्रदर्श पी 77 में इन्वेंट्री कार्यवाही करने बाबत विवरण वर्णित करते हुए सत्यापन रिपोर्ट प्रदर्श पी 78 पृथक से तैयार की गई एवं वजह सबूत के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 79 लगायत 84 तैयार करवाए गए हैं। तत्पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन माननीय अपर सेशन न्यायाधीश सूरतगढ़ को जरिए पत्र प्रदर्श पी 74 भिजवाया गया।

इस संबंध में धारा 52ए(4) एनडीपीएस एक्ट में यह विधिक व्यवस्था दी गई है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित की गई तालिका, मादक पदार्थों के फोटोचित्र और नमूने की सूची को ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। अर्थात धारा52ए एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्रावधानों के अनुसरण में यदि किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो ऐसा प्रमाण पत्र धारा 52ए(4) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य की श्रेणी में आने वाला दस्तावेज होने के कारण ऐसी इन्वेंट्री की कार्यवाही का अनुप्रमाणन करने वाले मजिस्ट्रेट की साक्ष्य आवश्यक नहीं है। इस प्रकार धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट की विधिनुसार कार्यवाही सम्पादन को भी अभियोजन पक्ष साबित करने में सफल रहा है।

इसके अतिरिक्त धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत BHARAT AAMBALE VERSUS THE STATE OF CHHATTISGARH CRIMINAL APPEAL NO. 250 OF 2025 (ARISING OUT OF SLP (CRL.) NO. 14420 OF 2024) में निम्नानुसार मत प्रकट किया हैः–

''50. We summarize our final conclusion as under: –

(I) Although Section 52A is primarily for the disposal and destruction of seized contraband in a safe manner yet it extends beyond the immediate context of drug disposal, as it serves a broader purpose of also introducing procedural safeguards in the treatment of narcotics substance after seizure inasmuch as it provides for the preparation of inventories, taking of photographs of the seized substances and drawing samples therefrom in the presence and with the certification of a magistrate. Mere drawing of samples in presence of a gazetted officer would not constitute sufficient compliance of the mandate under Section 52A sub–section (2) of the NDPS Act.

(II) Although, there is no mandate that the drawing of samples from the seized substance must take place at the time of seizure as held in Mohanlal (supra), yet we are of the opinion that the process of inventorying, photographing and drawing samples of the seized substance shall as far as

possible, take place in the presence of the accused, though the same may not be done at the very spot of seizure.

(III) Any inventory, photographs or samples of seized substance prepared in substantial compliance of the procedure prescribed under Section 52A of the NDPS Act and the Rules / Standing Order(s) thereunder would have to be mandatorily treated as primary evidence as per Section 52A subsection (4) of the NDPS Act, irrespective of whether the substance in original is actually produced before the court or not.

(IV) The procedure prescribed by the Standing Order(s) / Rules in terms of Section 52A of the NDPS Act is only intended to guide the officers and to see that a fair procedure is adopted by the officer in-charge of the investigation, and as such what is required is substantial compliance of the procedure laid therein.

(V) Mere non-compliance of the procedure under Section 52A or the Standing Order(s) / Rules thereunder will not be fatal to the trial unless there are discrepancies in the physical evidence rendering the prosecution's case doubtful, which may not have been there had such compliance been done. Courts should take a holistic and cumulative view of the discrepancies that may exist in the evidence adduced by the prosecution and appreciate the same more carefully keeping in mind the procedural lapses.

(VI) If the other material on record adduced by the prosecution, oral or documentary inspires confidence and satisfies the court as regards the recovery as-well as conscious possession of the contraband from the accused persons, then even in such cases, the courts can without hesitation proceed to hold the accused guilty notwithstanding any procedural defect in terms of Section 52A of the NDPS Act.

(VII) Non–compliance or delayed compliance of the said provision or rules thereunder may lead the court to drawing an adverse inference against the prosecution, however no hard and fast rule can be laid down as to when such inference may be drawn, and it would all depend on the peculiar facts and circumstances of each case.

(VIII) Where there has been lapse on the part of the police in either following the procedure laid down in Section 52A of the NDPS Act or the prosecution in proving the same, it will not be appropriate for the court to resort to the statutory presumption of commission of an offence from the possession of illicit material under Section 54 of the NDPS Act, unless the court is otherwise satisfied as regards the seizure or recovery of such material from the accused persons from the other material on record.

(IX) The initial burden will lie on the accused to first lay the foundational facts to show that there was non–compliance of Section 52A, either by leading evidence of its own or by relying upon the evidence of the prosecution, and the standard required would only be preponderance of probabilities.

(X) Once the foundational facts laid indicate non–compliance of Section 52A of the NDPS Act, the onus would thereafter be on the prosecution to prove by cogent evidence that either (i) there was substantial compliance with the mandate of Section 52A of the NDPS Act OR (ii) satisfy the court that such non–compliance does not affect its case against the accused, and the standard of proof required would be beyond a reasonable doubt.''

वहीं **न्यायिक दृष्टांत** NARCOTICS CONTROL BUREAU VERSUS KASHIF CRIMINAL APPEAL NO. 5544 OF 2024 (@ SPECIAL LEAVE PETITION (Cri.)NO. 12120 OF 2024 के पैरा नंबर 24, 31, 33, 35, 39.4,5 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार मत प्रकट किया गया हैः–

''Para No.24. Section 52A was inserted only for the purpose of early disposal of the seized contraband drugs and substances, considering the hazardous nature, vulnerability to theft, constraint of proper storage space etc. There cannot be any two opinions on the issue about the early disposal of the contraband drugs and substances, more particularly when it was inserted to implement the provisions of International Convention on the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, however delayed compliance or non–compliance of the said provision by the concerned officer authorised to make application to the Magistrate could never be treated as an illegality which would entitle the accused to be released on bail or claim acquittal in the trial, when sufficient material is collected by the Investigating Officer to establish that the Search and Seizure of the contraband substance was made in due compliance of the mandatory provisions of the Act.

Para No. 31 Even otherwise, in view of the law laid down by the Constitution Benches in case of Pooran Mal and in case of Baldev Singh, any procedural illegality in conducting the search and seizure by itself, would not make the entire evidence collected thereby inadmissible. The Court would have to decide the admissibility of evidence in the context and the manner in which the evidence was collected and was sought to be used during the course of trial. The evidence collected during the course of investigation in legal and proper manner and sought to be used in the course of trial with regard to the seized contraband substance could not be simply brushed aside, on the ground of procedural irregularity if any, committed by the concerned officer authorised in making application to the Magistrate as contemplated under Section 52A of the Act.

Para No. 33 Though it is true that the inventory certified, photographs taken and the list of samples drawn under sub–section (2) has to be treated by the Court as primary evidence in view of sub–section

(3), nonetheless the documents like Panchnama, seizure memo, arrest memo etc. prepared by the Investigating Officer on the spot or during the course of investigation are also primary evidence within the meaning of Section 62 of the Evidence Act, carrying the same evidentiary value as any other primary evidence. Such primary evidence with regard to Search and Seizure of the contraband substance could not be overlooked merely because some lapse or non–compliance is found of Section 52A of the Act.

Para No. 35 None of the provisions in the Act prohibits sample to be taken on the spot at the time of seizure, much less Section 52A of the said Act. On the contrary, as per the procedure laid down in the Standing Orders and Notifications issued by the NCB and the Central Government before and after the insertion of Section 52A till the Rules of 2022 were framed, the concerned officer was required to take samples of the seized contraband substances on the spot of recovery in duplicate in presence of the Panch witnesse and the person in whose possession the drug or substance recovered, by drawing a Panchnama. It was only with regard to the remnant substance, the procedure for disposal of the said substance was required to be followed as prescribed in Section 52A.

Para No. 39 The upshot of the above discussion may be summarized as under:

(iv) Sub–section (2) of Section 52A lays down the procedure as contemplated in sub–section (1) thereof, and any lapse or delayed compliance thereof would be merely a procedural irregularity which would neither entitle the accused to be released on bail nor would vitiate the trial on that ground alone.

(v) Any procedural irregularity or illegality found to have been committed in conducting the search and seizure during the course of investigation or thereafter, would by itself not make the entire evidence collected during

the course of investigation, inadmissible. The Court would have to consider all the circumstances and find out whether any serious prejudice has been caused to the accused.''

इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उक्तानुसार धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट की विधिक व्यवस्था के संबंध में जो न्यायिक मत प्रकट किया है, उसके आधार पर इस न्यायालय का विनम्र न्यायिक मत यह है कि धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की गई इन्वेंट्री व लिए गए सैंपल की कार्यवाही के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा जो उज्र प्रस्तुत किए गए हैं वे इस प्रकार के नहीं है कि जो अभियोजन की ओर से बरामदगी को साबित किए जाने के लिए ,जो दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, को सारतः खंडित करता हो।

22. जहां तक गवाहान की साक्ष्य में माइनर कन्ट्रडिक्शन का प्रश्न है तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्यायिक दृष्टांत संपत कुमार बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कृष्णागिरी 2012(4) एससीसी** 124 में मत प्रकट किया है कि–

''Minor contradictions are bound to appear in the statements of truthful witnesses as memory sometime plays false and the sense of obseration differ from person to person"

इस प्रकार उक्त न्यायिक मतानुसार गवाहान के बयानों में अत्यल्प विरोधाभास, विश्वसनीय गवाहान की साक्ष्य में आना, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वाभाविक माना है।

वहीं **न्यायिक दृष्टांत** (2008) 11 **एससीसी** 408 **राजस्थान राज्य बनाम उदयलाल** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार मत प्रकट किया हैः–

''Law on the point is very clear that even if there is any sort of procedural illegality in conducting the search and seizure, the evidence collected thereby will not become inadmissible and the court would consider all the circumstances and find out weather any serious prejudice had been caused to the accused."

इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालयों के द्वारा प्रकट मत भी अभियोजन पक्ष को समर्थन प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त अल्प कन्ट्राडिक्शन का तर्क अभियोजन की कहानी को सारभूत रूप से ऐसा आघात कारित नहीं करता है, जो अभियोजन की कहानी को जड़ से उखाड़ देता हो और सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को खंडित कर देता हो।

23. अब न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि जो टेबलेट अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया से बरामद की गई थी, क्या वह टेबलेट का घटक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित मादक पदार्थ की परिभाषा में आता है?

इस संबंध में पत्रावली का अध्ययन करते हैं तो जाहिर होता है कि पत्रावली पर एफएसएल रिपोर्ट को प्रदर्श पी 32 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है जो एफआईआर संख्या 243/2020 अंतर्गत धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर में बरामद टेबलेट के संबंध में तैयार की गई है। उक्त सैंपल मार्क–ए की जांच के पश्चात प्रस्तुत एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 32 के अनुसार बाद जांच सैंपल पैकेट मार्क–ए के संबंध में निम्नानुसार राय दी गई है–

<u>RESULT OF EXAMINATION</u>

On Micro chemical analysis–

The sample tablets packed in the packet marked A was found to contain ***Tramadol***. The weight of ten tablets is 3.96 gm.

Note– Tramadol is listed under NDPS Act.

उक्त एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–32 से हस्तगत प्रकरण में भेजे गए सैंपल मार्क–ए में ट्रामाडोल तत्व पाया जाना एवं दस टेबलेट का वजन 3.96 ग्राम होना एवं ट्रामाडोल एनडीपीएस एक्ट में वर्णित तालिका के क्रमांक नं. 238 ZH पर दर्ज होने का तथ्य भी प्रकट होता है, जिसकी न्यूनतम मात्रा 05 ग्राम एवं वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम एनडीपीएस अधिनियम में तय की गई है। इस प्रकार बरामद टेबलेट में पाया गया ट्रामाडोल घटक एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित मादक पदार्थ की परिभाषा में आने का तथ्य भी अभियोजन की साक्ष्य से साबित हो जाता है।

24. अब प्रश्न यह है कि बरामदशुदा 25000 टेबलेट में पाये गये ट्रामाडोल घटक की मात्रा की गणना किस प्रकार की जावेगी?

इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्यायिक दृष्टांत** HIRA SINGH AND ANOTHER VERSUS UNION OF INDIA AND ANOTHER (2020) 20 SCC 272 में निम्नानुसार मत प्रकट किया गया हैः–

''Para No.(8.1) Thereafter, it is further observed that to winch up the legislative intent, it is permissible for courts to take into account the ostensible purpose and object and the real legislative intent. Otherwise, a bare mechanical interpretation of the words and application of the legislative intent devoid of concept of purpose and object will render the legislature inane. It is further observed that in given circumstances, it is permissible for courts to have functional approaches and look into the legislative intention and sometimes it may be even necessary to go behind the words and enactment and take other factors into consideration to give effect to the legislative intention and to the purpose and spirit of the enactment so that no absurdity or practical inconvenience may result and the legislative exercise and its scope and object may not become futile.

Para No.(8.5) Therefore, the provisions of NDPS Act are required to be interpreted keeping in mind the object and purpose of NDPS Act; impact on the society as a whole and the Act is required to be interpreted literally and not liberally which may ultimately frustrate the object, purpose and preamble of the Act. Therefore, the interpretation of the relevant provisions of the statute canvassed on behalf of the accused and the intervener that quantity of neutral substance (s) is not to be taken into consideration and it is only actual content of the weight of the offending drug, which is relevant for the purpose of determining whether it would constitute "small quantity or commercial quantity", cannot be accepted.

Para No.(10.2) In view of the above and for the reasons stated above, Reference is answered as under:

(II). In case of seizure of mixture of Narcotic Drugs or Psychotropic Substances with one or more neutral substance(s), the quantity of neutral substance(s) is not to be excluded and to be taken into consideration along with actual content by weight of the offending drug, while determining the "small or commercial quantity" of the Narcotic Drugs or Psychotropic Substances.''

उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित मतानुसार हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण से 14.325 किलोग्राम ट्रामाडोल बरामद होने का तथ्य अभियोजन पक्ष साबित करने में सफल रहा है।

25. इस प्रकार उक्त तमाम विवेचन के मद्देनजर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया पुरानी धानमंडी सूरतगढ़ में एक मोटरसाइकिल लेकर आ रहे थे, जिनके बीच में एक कार्टून रखा हुआ था एवं उक्त कॉर्टून की तलाशी लेने पर उसमें से 100 डिब्बो में डाले हुए 2500 पतों में पैक 25000 अवैध ड्रामाडोला हाइड्रोक्लोराइड टेबलेटस कुल वजन 14 किलो 325 ग्राम की बरामदगी की गई, एवं उक्त अवैध नशीली टेबलेटस की अभियुक्तगण के कब्जेशुदा मोटरसाइकिल पर से बरामदगी में समस्त विधिक प्रक्रिया की पालना किया जाना भी, अभियोजन पक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है। इसके अलावा अभियुक्तगण द्वारा उक्त अवैध नशीली टेबलेटस के संबंध में कोई भी लाइसेंस/परमिट भी पेश नहीं किया गया है।

26. इस प्रकार अभियुक्तगण के कब्जे से एक कार्टून में से 100 डिब्बो में से कुल 25000 अवैध नशीली टेबलेटस ड्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कुल वजन 14 किलो 325 ग्राम बरामद होने के तथ्य को तथा उक्त के संबंध में अभियुक्तगण के पास कोई लाइसेंस या परमिट नहीं होने के तथ्य, को जहां अभियोजन पक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर साबित करने में सफल रहा है, वहीं पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 35 व 54 एनडीपीएस एक्ट के आधार पर जो उपधारणा सृजित हुई है, उसे खंडित करने के संबंध में अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया की ओर से लेशमात्र भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की

गई है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **Naresh Kumar alias Nitu Vs. State of Himachal Pradesh (2017)15 SCC 686** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मत प्रकट किया कि:–

''The presumptions against the accused of culpability under section 35, and under Section 54 of the act to explain possession satisfactorily, are rebuttable. It does not dispense with the obligation of the prosecution to the charge beyond all reasonable doubt.''

27. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से जो दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश की गई है उनके आधार पर अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया के विरुद्ध अपराध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के संबंध में जो उपधारणाएं सृजित हुई, उन्हें दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण खंडित करने में असफल रहे हैं।

28. इस प्रकार पत्रावली पर आई सम्पूर्ण साक्ष्य के अध्ययन से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

आदेश

29. फलतः अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

(मोहम्मद आसिफ अंसारी)

30. निर्णय आज दिनांक 05.04.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद आसिफ अंसारी)

दण्डादेश

1. दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया के विद्वान अधिवक्ता तथा अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

2. विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा समाज में नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दखते हुए ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड दिए जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण मजदूरी पेशा हैं। अभियुक्तगण इस प्रकरण में काफी समय तक अभिरक्षा में भी रह चुके हैं। अभियुक्तगण लंबे समय से विचारण की पीड़ा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण का अभिरक्षा के दौरान व जमानत पर रहने के दौरान आचरण सही रहा है। इस कारण उनके साथ नरमी का रुख अपनाया जावे।

4. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया के कब्जे से एक कार्टून में से 100 डिब्बो में पैक 2500 पतों में से 25000 अवैध नशीली टेबलेटस ट्रामाडोला हाइड्रोक्लोराइड कुल वजन 14 किलो 325 ग्राम की बरामदगी हुई है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत ट्रामाडोल की न्यूनतम मात्रा 05 ग्राम व वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम तय की गई है। इस प्रकार अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया के कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा से भी अधिक मात्रा में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड घटक वाली टेबलेट बरामद हुई हैं। आजकल इस क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है तथा नशीली टेबलेटस के सेवन से युवाओं के स्वास्थ्य व दिलोदिमाग पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ऐसे अपराधों में अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में **न्यायिक दृष्टांत 2006 क्रिमीनल लॉ.रि. एस.सी. 167 शैलैस जसवंत भाई व अन्य बनाम गुजरात राज्य व अन्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रकट किया गया है कि–

''It has been held in the said case that it is the nature and gravity of the crime but not the criminal, which are germune for

consideration of appropriate punishment in a criminal trial. The Court will be failing in its duty if appropriate punishment is not awarded for a crime which has been committed not only against the individual victim but also against the society to which the criminal and victim belong''

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्यायिक दृष्टांत** HIRA SINGH AND ANOTHER VERSUS UNION OF INDIA AND ANOTHER (2020) 20 SCC 272 के पैरा नंबर 8.5 में निम्नानुसार मत प्रकट किया हैः–

''The problem of drug addicts is international and the mafia is working throughout the world. It is a crime against the society and it has to be dealt with iron hands. Use of drugs by the young people in India has increased. The drugs are being used for weakening of the nation. During the British regime control was kept on the traffic of dangerous drugs by enforcing the Opium Act, 1857. The Opium Act, 1875 and the Dangerous Drugs Act, 1930. However, with the passage of time and the development in the field of illicit drug traffic and during abuse at national and international level, many deficiencies in the existing laws have come to notice. Therefore, in order to remove such deficiencies and difficulties, there was urgent need for the enactment of a comprehensive legislation on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, which led to enactment of NDPS Act. As observed herein above, the Act is a special law and has a laudable purpose to serve and is intended to combat the menace otherwise bent upon destroying the public health and national health.''

5. इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित मत को देखते हुए अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैः–

6. अतः अभियुक्तगण सीताराम पुत्र कृष्णलाल, निवासी वार्ड नं. 09 सूरतगढ़, पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर, जिला श्रीगंगानगर(राज.) व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया पुत्र बाबुलाल, निवासी हिन्दौर, पुलिस थाना राजियासर (राज.) को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के दोषसिद्ध अपराध के लिए प्रत्येक को बीस–बीस (20–20) वर्ष के कठोर कारावास और 2,00,000–2,00,000/–रुपए (अक्षरे रुपए दो–दो लाख) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त को तीन–तीन (03–03) वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगताया जाए।

7. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को उनकी मूल सजा की अवधि में समायोजित किया जाए।

8. अभियुक्तगण सीताराम व सुरेन्द्र उर्फ सैंधिया न्यायिक अभिरक्षा में हैं, जिनके सजा वारण्ट पृथक से बनाये जावे।

9. इस प्रकरण में **अभियुक्त श्योनारायण उर्फ शिवनारायण** को पूर्व में मफरूर घोषित किया गया है, इसलिए पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्त के मफरूर होने के कारण पत्रावली का कोई भाग नष्ट ना करने बाबत लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे।

10. निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाए।

(मोहम्मद आसिफ अंसारी)

31. दंडादेश आज दिनांक 05.04.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद आसिफ अंसारी))